न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 63/2020

1 बाबुलाल पुत्र बींजा उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 गुलझारीलाल पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी नाईनदा तन मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2 नाथूराम पुत्र रूड़मल (मृत)।
2/1 भागुराम पुत्र नाथुराम।
2/2 सुरजाराम पुत्र नाथुराम।
2/3 हरदेवा पुत्र नाथुराम।
2/4 फूलचन्द पुत्र नाथुराम।
2/5 रिछपाल पुत्र नाथुराम।
2/6 सुरेन्द्र पुत्र नाथुराम।
2/7 अशोक पुत्र नाथुराम।
2/8 राजेन्द्र पुत्र नाथुराम।
2/9 सागर पुत्र नाथुराम।
3 नारायण पुत्र भूरा (मृत)।
3/1 नरसी पुत्र नारायण।
3/2 बोदू पुत्र नारायण।
3/3 मोतीराम पुत्र जगदीश।
4 नानू पुत्र भूरा (मृत)।
4/1 हणमान पुत्र नानू।
5 भगवाना पुत्र भूरा नाऔलाद फौत।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 गोपी पुत्र भूरा नाऔलाद फौत।
7 लिछमण पुत्र भूरा (मृत)।
7/1 स्योदान पुत्र लिछमण।
8 धन्नाराम पुत्र भूरा (मृत)।
8/1 रूड़ाराम पुत्र धन्नाराम।
8/2 झमरी पत्नी धन्नाराम।
8/3 भागीरथ पुत्र धन्नाराम।
8/4 देवीलाल पुत्र धन्नाराम।
9 चन्द्रा पुत्र भूरा (मृत)।
9/1 हरफूल पुत्र चन्द्रा।
9/2 झाबर पुत्र चन्द्रा।
9/3 श्यामलाल पुत्र चन्द्रा।
10 राधा देवी पत्नी भूरा।
11 बिड़दी बेवा रामदेवा।
12 जगदीश पुत्र बींजा।
13 प्रहलाद पुत्र बींजा समस्त जाति जाट निवासीगण मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर वर्तमान तहसील खण्डेला जिला सीकर।
14 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर वर्तमान तहसील खण्डेला।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 23.01.1991 मुकदमा नम्बर 05/1985 संशोधित डिक्री दिनांक 25.07.1991 व पुनः संशोधित डिक्री दिनांकित 26.09.1991 सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी श्री मोहनलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री बनवारीलाल बरबड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 05/1985 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.1991 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी गुलझारीलाल ने प्रतिवादीगण के विरूद्व ग्राम मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 468/1 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा में से आधे भाग की खातेदारी की उद्घोषणा का दावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर वादी को गत खसरा नम्बर 468/1 हाल खसरा नम्बर 816,817,818,827 तन ग्राम मलिकपुर मे 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील धारा 5 एव धारा 96 के आवेदन के साथ दिनांक 24.08.2020 को प्रस्तुत की गई है। दौराने सुनवाई प्रकरण में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष को धारा 5 धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण से सम्बंधित है, सत्यापित प्रति है। अत आवेदन स्वीकार कर दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में से 8

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बीघा 7 बिस्वा भूमि नाथु से कय करने के कारण अपीलांट को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। विवादित भूमियों में अपीलांट का हक हिस्सा होने से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर दावा डिकी करवा लिया है। विधि में यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से से अधिक भूमि का बेचान नही किया जा सकता है। प्रस्तुत अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। विधिक प्रावधानों के विपरित पारित निर्णय पर मियाद लागु नही होती है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रकरण का निस्तारण तकनिकी आधार पर नही किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए । अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है जमाबंदी संवत 2045–48 में एवं संवत 2069 में बैंक से ऋण लेने के कारण जमांबदी में रहन का नोट अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को राजस्व रिकार्ड की जानकारी संवत 2045–48 में हो गई थी। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नही होने से रिकार्ड वारिसान के नाम दर्ज होता रहा है। विचारण न्यायालय में वादी गुलझारी ने आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाकर दावा प्रस्तुत किया गया था। दावा दायरी के समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाया गया था। अपीलांट इस समय खातेदार नही थे इसीलिये अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार योग्य नही है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है जमाबंदी संवत 2045–48 में एवं संवत 2069 में बैंक से ऋण लेने के कारण जमांबदी में रहन का नोट अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को राजस्व रिकार्ड की जानकारी संवत 2045–48 में हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गई थी। अपीलांट से अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नही होने से रिकार्ड वारिसान के नाम दर्ज होता रहा है। विचारण न्यायालय में वादी गुलझारी ने आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाकर दावा प्रस्तुत किया गया था। दावा दायरी के समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाया गया था। अपीलांट इस समय खातेदार नही थे इसीलिये अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार योग्य नही है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2020 पेज 681 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि" Limitation Act 1963- Section 5- Civil Procedure Code 1908- Section 100- When no proper explanation offered by the Department for the delay of 2 years and 7 months except mentioning of various dates, department has miserably failed to give any acceptable reasons sufficient to condone such a huge delay- Appeals are liable to be dismissed on the ground of delay.

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (9) 2002 पेज 164 में माननीय मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि" Civil Procedure code, 1908- Section 96- For filing appeal under this Section, person must be aggrieved from the order. in this appliacant could not prove how he is aggrieved from the order appealed againt. Whereas for filing an appeal under Section 96 person must be aggrieved from the order. Revision dismissed. इसी प्रकार आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 379 में माननीय मण्डल ने अभिनिर्धारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया है कि" Code of Civil Procedure, 1908- Section 96- Permission for filing an appeal cannot be granted to the person who is not aggrieved by the impunged order. in this case, Permission for filling an appeal was granted to the persons who were not aggraived by the order. The permission was granted for filing an appeal against the allotment of Johad Paytan' land. The applicants did not not prated that this land should be allotted to them. When relief of allotment of land to them was not claimed by applicants, they are not the aggrieved persons and permission for filing an appeal cannot be granted to them. Revision accepted.

उपरोक्त विवेचन एंव न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 एवं धारा 96 स्वीकार योग्य नही पाये जाते है। अत अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर